



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-34/2017

दिनांक : 23.08.2017

परिपत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या F.No. 8-6/2017 TEI दिनांक 08.08.2017 में प्राप्त निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 14.08.2017 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय के सभी नियमित/अस्थायी/अंशकालिक शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष कम से कम 3 पाठ अभिलिखित (record) करना आवश्यक किया है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
24/08/17

प्रति

समस्त शिक्षक गण (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि,

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. अकादमिक संयोजक
4. स्थापना एवं प्रशासन विभाग (सभी शिक्षकों की व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न करने)
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट,
6. संबंधित पत्रावली